

प्रेषक,

नोडल अधिकारी
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा
जिला- गौतमबुद्ध नगर

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
उद्योग बन्धु,
12-सी, माल एवेन्यू,
लखनऊ- 226001 (उ0प्र0)

महोदय,

कृपया शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्या- 596/91-09/2014, दिनांक 19.09.2017 व अधिशाली निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- उ0ब0/2072/1313/नालेज बैंक/17-18 दिनांक 12.09.2017 में दिये गये निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारत सरकार के डी0आई0पी0पी0 विभाग द्वारा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये रिफार्म्स बिन्दुओं पर उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम- 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत सेवायें अधिसूचित किये जाने विषयक सूचना निर्धारित प्रारूप पर मांगी गयी है।

तत्कम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत अपने औद्योगिक सेवा प्रदाता विभागों से सम्बन्धित सेवायें जो उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम- 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत अधिसूचित की जानी हैं, उसे निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथा उपरोक्त।

भवदीय

(शैलेंद्र कुमार भाटिया)
नोडल अधिकारी (EODB)

AK

मुख्य सचिव, महोदय के अर्द्धशा0 पत्र संख्या- 596 / 91-09 / 2014, दिनांक 19.09.2017 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत उद्योग विभाग, नियोजन विभाग, परियोजना विभाग से सम्बन्धित सेवाओं का समय-सीमा सहित विवरण:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अधिकारी	अपीलीय प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा
1.	उद्योग विभाग	भूमि ऑक्टन						
		a. ऑक्टन पत्र।	प्रबंधक (उद्योग)	21 कार्य दिवसों में।	अपर कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	7 कार्य दिवसों में।
		b. ऑक्टन की मूल्यापरास्त मूल्यांकन का मूल्यांकन। (लीजन्ड्रीड निष्पादन से पूर्व / बाद में)	प्रबंधक (उद्योग)	90 कार्य दिवसों में।	अपर कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 कार्य दिवसों में।
		c. क्रियाशील प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रबंधक (उद्योग)	30 कार्य दिवसों में।	अपर कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 कार्य दिवसों में।
		d. सामग्री प्रदाना पत्रों की स्वीकृति।	प्रबंधक (उद्योग)	30 कार्य दिवसों में।	अपर कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 कार्य दिवसों में।
		e. अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रबंधक / (उद्योग)	25 कार्य दिवसों में।	महाप्रबंधक (वित्त)	मुख्य प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 कार्य दिवसों में।

आ0 मंगल सैन
औद्योगिक सलाहकार



2.	नियोजन विभाग	a. औद्योगिक भवन मानचित्र की स्वीकृति	महाप्रबंधक नियोजन	400000 वर्गमी० तक वॉशिंग प्रपोजे सहित ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र, प्राप्ति से 15 कार्यदिवसों के अन्दर। 400000 वर्गमी० से ऊपर वॉशिंग प्रपोजे सहित ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र, प्राप्ति से 30 कार्यदिवसों के अन्दर।	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 कार्य दिवसों में	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 कार्य दिवसों में
	b. आकूपन्सी सर्टिफिकेट (समापन प्रमाण-पत्र)	महाप्रबंधक नियोजन	उक्त समय-सीमा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अनुमोदित है परन्तु शासन की स्वीकृति अपेक्षित।	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	20 कार्यदिवसों में	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 कार्य दिवसों में	
3.	परियोजना विभाग	a. पर्यटन / सौंदर्य कनेक्शन	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक परियोजना	वॉशिंग प्रपोजे सहित ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र, प्राप्ति से 15 कार्य दिवसों के अन्दर।	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 कार्यदिवसों में	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 कार्यदिवसों में


 आ० भगल सैग
 औद्योगिक शासनकार